

2020/50620

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पॉडेन्ट

श्रीमती सुशीला पत्नि श्री मनोज कुमार
जाति राजपूत
निवासी वाई नं. 32, उत्तरी मेघवाल वास,
सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
विकास अधिकारी सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 70 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
14.12.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पॉडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही को दिनांक 26.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला परिषद सिरौही द्वारा 1999 में अध्यापक ग्रेड थर्ड की नियुक्ति की गई थी। उक्त नियुक्ति का मूल विज्ञापन, नियुक्ति प्रक्रिया में भरे गए फॉर्मों एवं चयनित एवं नियुक्त किए गए अध्यापकों की वरियता/मेरिट सूची एवं नियुक्त किए गए सभी अध्यापकों के नियुक्ति आदेश की प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही को दिनांक 26.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला परिषद सिरौही द्वारा 1999 में अध्यापक ग्रेड थर्ड की नियुक्ति की गई थी। उक्त नियुक्ति का मूल विज्ञापन, नियुक्ति प्रक्रिया में भरे गए फॉर्मों एवं चयनित एवं नियुक्त किए गए अध्यापकों की वरियता/मेरिट सूची एवं नियुक्त किए गए सभी अध्यापकों के नियुक्ति आदेश की प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूँकि पंचायत समिति के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। इस कारण सूचना देना सम्भव नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही